कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य क**र,** उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री शान एसोसियेटस, फतेहउल्ला सराय देहली रोड सम्भल, मुरादाबाद।**

प्रा0प0सं0– **122/2008**

प्रार्थी की ओर से– **कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अर्न्तगतनिर्णय

।– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 11–03–08 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा निम्नलिखित पॉच प्रश्नों पर कर की दर की जानकारी चाही गयी हैः–

।– क्या रॉ होर्न, रॉ बोर्न करमुक्त है यदि नहीं तो कर देयता की स्थिति क्या होगी ?

2–सींग, हडडी, लकड़ी आदि से निर्मित वस्तुयें(हैण्डीक्राफ्ट)क्या अनुसुची–। के क्रमांक–49 में सम्मिलित है और करमुक्त है, यदि नहीं तो करदेयता की क्या स्थिति होगी?

3– यदि सींग, हडडी, लकड़ी आदि से निर्मित वस्तुयें हैण्डीक्राफ्ट में मेटल आदि का प्रयोग अल्प मात्रा में किया जाता है जो उक्त हैण्डीक्राफ्ट क्या करमुक्त रहेगा या उस पर कोई करदेयता है, यदि है तो करदेयता की क्या स्थिति होगी?

4– बोन सेन्यु, बोनगिस्ट, बोन क्लिप, क्रश्ड बोन को किसी भी अनुसुची में नहीं रखा गया है, इस पर करदेयता की क्या स्थिति होगी?

5–सीमेन्ट से निर्माण की गयी ईटों (इन्टरलॉकपेवर्स) को किसी भी अनुसुची में रखा गया है, इस पर करदेयता की क्या स्थिति होगी?

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–। वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या–521दिनांक 02–05–08द्वारा आख्या प्रेषित की है । जिसके अनुसार क्रमांक–। पर अंकित वस्तु रॉ होर्न, रॉ बोर्न वैट अधिनियम 2008 की अनुसुची–। के क्रमांक–31 से आच्छादित होने के कारण करमुक्त की श्रेणी में आती है ।

क्रमांक–2 पर अंकित वस्तुयें सींग, हडडी, वैट अधिनियम 2008 की अनुसुची–। के क्रमांक–49 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इन पर अवर्गीकृत की भांति करदेयता बनती है परन्तु लकड़ी से निर्मित हैण्डीक्राफ्ट करमुक्त की श्रेणी में आयेगे।

क्रमांक–3 पर अंकित वस्तुयें सींग, हडडी से निर्मित वस्तुओं के साथ अवर्गीकृत की भांति कर लगाया जायेगा परन्तु लकड़ी से निर्मित वस्तुयें हैण्डीक्राफ्ट करमुक्त रहेगी।

क्रमांक–4 पर अंकित वस्तुयें बोन सेन्यु, बोनगिस्ट, बोन क्लिप वैट अधिनियम 2008 की अनुसुची–। के क्रमांक–23 के अन्तर्गत वर्गीकृत है अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता बनेगी परन्तु क्रश्ड बोन किसी भी अनुसुची में न आने के कारण अवर्गीकृत की भांति12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी ।

क्रमांक–5पर अंकित वस्तुयें सीमेन्ट से निर्माण की गयी ईटों (इन्टरलॉकपेवर्स) किसी भी अनुसुची में न आने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–। के क्रमांक–31 तथा क्रमांक 49 की प्रविष्टि निम्नवत् हैः–

क्रम संख्या–2

सर्वश्री शान एसोसियेटस, फतेउल्ला सराय देहली रोड सम्भल, मुरादाबाद।
प्रा0प0सं0–122/2008

31	Semen including frozen semen; **bones, horns and hooves.**

49	Handicrafts including wooden handicrafts and cane handicrafts but excluding wooden furniture and cane furniture; **Koramaal**.

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–2 के क्रमांक–23 की प्रविष्टि निम्नवत् हैः–

23	Bone meal, **crushed bone, bone sinews, bone grist.**

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रार्थी द्वारा पुनः उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी तथा प्रस्तुत तथ्यो के आधार पर निर्णय करने का निवेदन किया गया। अतः धारा–59 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय रुप से किया जा रहा है।

4– मेरे द्वारा व्यापारी के धारा–59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या का परिशीलन किया गया। व्यापारी द्वारा पूछे गये उपरोक्त पॉच पश्चों का उत्तर निम्न प्रकार से दिया जाता हैः–

क्रमांक–। पर अंकित वस्तु रॉ होर्न, रॉ बोर्न वैट अधिनियम 2008 की अनुसुची–। के क्रमांक–31 से आच्छादित होने के कारण करमुक्त की श्रेणी में आती है ।

क्रमांक–2 पर अंकित वस्तुयें सींग, हडडी से निर्मित हैण्डीक्राफ्ट वैट अधिनियम 2008 की अनुसुची–। के क्रमांक–49के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इन पर अवर्गीकृत की भांति करदेयता होगी परन्तु लकड़ी से निर्मित हैण्डीक्राफ्ट करमुक्त की श्रेणी में आयेगे।

क्रमांक–3 पर अंकित वस्तुयें सींग, हडडी आदि से निर्मित हैण्डीक्राफ्ट वस्तुओं पर मेटल आदि प्रयोग किया जाता है के साथ अवर्गीकृत की भांति कर लगाया जायेगा परन्तु लकड़ी से निर्मित वस्तुयें हैण्डीक्राफ्ट करमुक्त रहेगी।

क्रमांक–4 पर अंकित वस्तुयें बोन सेन्यु, बोनगिस्ट, बोन क्लिप वैट अधिनियम 2008 की अनुसुची–। के क्रमांक–23 के अन्तर्गत वर्गीकृत है अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी परन्तु क्रश्ड बोन किसी भी अनुसुची में न आने के कारण अवर्गीकृत की भांति12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी ।

क्रमांक–5पर अंकित वस्तुयें सीमेन्ट से निर्माण की गयी ईटों (इन्टरलॉकपेवर्स) किसी भी अनुसुची में न आने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी ।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0/10–2–09

दिनांकः: 10 फरवरी, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।